



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39-2021]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2021
(6 आश्विन, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 12/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 2 जुलाई, 2021 का शुद्धि पत्र।	9—10

भाग—IV**हरियाणा सरकार****वन तथा वन्य प्राणी विभाग****शुद्धिपत्र**

दिनांक 27 सितम्बर, 2021

हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 02 जुलाई, 2021 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या सा0 का0 नि0 12/संवि0/अनु0 309/2021, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में, मूल हिन्दी पाठ में,—

- (i) पृष्ठ 331 पर, "(i) कद 163 से.मी. 150 से.मी." जहाँ कहीं भी आए, के स्थान पर, "(i) कद 168 से.मी. 155 से.मी." पढ़ा जाए; तथा
- (ii) पृष्ठ 332 पर, "(i) कद 163 से.मी. 150 से.मी." जहाँ कहीं भी आए, के स्थान पर, "(i) कद 168 से.मी. 155 से.मी." पढ़ा जाए।

एस० एन० राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Corrigendum

The 27th September, 2021

In Haryana Government, Forest Department, Notification No. GSR.12/Const./ Art./309/2021, dated the 2nd July, 2021, published in the Haryana Government Gazette, dated the 6th July, 2021, in its authorized English Translation, at page 353, for “Unexpanded 84 cms 79 cms” read “Unexpanded 79 cms 74 cms”; and Expanded 89 cms 84 cms” read “Expanded 84 cms 79 cms”.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Forests and Wildlife Department.